

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश संख्या:- 720/2020

भारतीय रेल स्थापना मैनुअल भाग-1 के नियम 1515 के अनुसार श्री विकाश कुमार, एवजी बंगला आदेशपाल/टीएडीके जो लगातार 120 दिनों की सेवा एवजी के रूप में कर चुके है एवं अमरेप्र-11/सोनपुर महोदय के द्वारा इनके कार्य संतोषप्रद रहने के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित तिथि से वेतनमान 5200-20200+जीपी 1800 अस्थाई दर्जा प्रदान किया जाता है । इन्हें अस्थाई रेल कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधायें देय होगी ।

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	अधीन कार्यस्थल	निरंतर 120 दिन सेवा पूर्ण करने की तिथि	अस्थाई दर्जा प्रदान करने की तिथि
1.	श्री विकाश कुमार	अमरेप्र-11/सोनपुर	14.05.2019 से 10.09.2019	11.09.2019

नोट:- संबंधित एवजी को अस्थाई दर्जा मिलने से वे स्वतः रेल सेवा में नियुक्ति के हकदार नहीं हो जायेंगे, जब तक कि छान परीक्षा के आधार पर इस तरह की नियुक्ति हेतु कार्यवाही नहीं हो पाती है या इन्हें नियमित पद पर पदस्थापना हेतु चयन नहीं कर लिया जाता है ।

(रवि कुमार पंडित)
सकाधि-

कृते मंडल रेल प्रबंधक/का./सोनपुर

पत्रांक:- का/227/नियुक्ति/एवजी बंगला आदेशपाल/मरेप्र/सोन
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

दिनांक 29.12.2020

1. अमरेप्र-11/सोनपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. वमाकाधि, वमविप्र ।
3. मुकार्याधी/बिल/सोनपुर
4. संबंधित कर्मचारी एवं उनके निजी मिसिल
5. कार्यालय आदेश प्रति
6. मंडल मंत्री/ईसीआरकेयू ओबीसी, अजा-अजजा एशो0/सोनपुर मंडल

कृते मंडल रेल प्रबंधक/का./सोनपुर